24.8.22 पत्रावली पेश। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों, भू-अ-नि. द्वारा तैयार रिपोर्ट एवम् अधिवक्ता द्वारा पेश बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी द्वारा खसरा नं. $\frac{103}{2}$ में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में मांगे गये रास्ते को प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण का खसरा सांकेतिक तौर पर दर्शाया गया है।

भू. अ. नि. से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का खसरा नं. 103/2 अलग से तरमीम किया जाकर वर्तमान नक्शा संलग्न है। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि खसरा नं 103/2 गै.मु. सड़क से लगता है। हालांकि कब्जे को लेकर मौके पर स्थिति अस्पष्ट है एवम् अप्रार्थीगण द्वारा सड़क से लगे हिस्से पर खसरा नं. 103/2 में कब्जा किया हुआ है।

उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है।

प्रार्थीगण का खसरा 103/2 गै.मु. सड़क से लगता है। अतः धारा 251A के तहत रास्ता दिये जाने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी संबंधित प्रावधानों के तहत अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली फैसल की जाकर रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाये।

[redacted]
24/8/22